

न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट, नागौर

बड़जलास - मनोज कुमार, आर0ए0एस0

परिवाद संख्या - 37/2019

प्रार्थी
सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कम
अभिहित अधिकारी, नागौर

बनाम

अप्रार्थी

अशोक जाट पुत्र रामदेव जाति जाट
निवासी जाटो का मोहल्ला मु.पो. बम्बलू
तहसील व जिला बीकानेर।
हाल निवासी वाटर वर्क्स चौराहा, पीएचईडी कॉलोनी, नागौर।
फर्म-आर.के. मावा भण्डार, वाटर वर्क्स चौराहा,
पीएचईडी कॉलोनी, नागौर।

आदेश

दिनांक :13.02.2020

1. प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर द्वारा परिवाद प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थी को दिनांक 02.12.2018 को दूरभाष पर थाना कोतवली, नागौर द्वारा एवं डॉ. सुकुमार कश्यप, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर द्वारा दिये गये निर्देशानुसार प्रार्थी कोतवाली थाना, नागौर पर पहुंचा, थाना कोतवाली द्वारा दी गई तहरीर क्रमांक 13051 दिनांक 02.12.18 के अनुसार थाना परिसर में खड़ी गाडी नं. आर जे 21 जीए 9818 बोलरो केम्पर (रंग सफेद) में रखे पीपो में भरे हुए मावे का नियमानुसार जांच करवाने के निर्देश दिये गये। मावे में मिलावट का शक होने पर नमूना वास्ते जांच लिया जाकर सीरीयल कोड नं. क्यू 1064 अंकित किया गया। उक्त नमूने की जांच खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर से करवायी गयी। जिनकी जांच रिपोर्ट क्रमांक एलएस 979/एक्ट/2018/31 दिनांक 10.01.2019 के द्वारा प्रार्थी द्वारा लिया गया नमूना मावा Sub-Standard होना पाया गया। उक्त जांच रिपोर्ट के अनुसार अभियुक्त अशोक जाट पुत्र रामदेव जाति जाट निवासी जाटो का मोहल्ला, मु. व पोस्ट बम्बलू तहसील व जिला बीकानेर, हाल निवासी वाटर वर्क्स चौराहा, पीएचईडी कॉलोनी, नागौर ने एफ.एस.एस.ए. 2006 की धारा 26 उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन किया है, जो कि एफ.एस.एस.ए.2006 की धारा 51 के तहत जुर्माना योग्य अपराध होने से अप्रार्थी को जुर्माने से दण्डित किए जाने हेतु निवेदन किया गया।

2. खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह परिवाद दिनांक 18-07-2019 को इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है, जो दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी दिनांक 26.12.19 को उपस्थित भी हुआ। लेकिन इसके बाद न तो अप्रार्थी उपस्थित हुआ और न ही उसके द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत किया गया।

3. खाद्य सुरक्षा अधिकारी को सुना गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात एवं खाद्य विश्लेषक से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या एलएस 979/एक्ट/2018/31 दिनांक 10.01.2019 के अनुसार मावा का नमूना Sub-Standard पाया गया है। अतः अप्रार्थी को दोषी करार दिया जाता है। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा खाद्य एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) का उल्लंघन करने एवं अपराध कारित करने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत अप्रार्थी पर रू. 30,000/- अक्षरे रूपये तीस हजार शास्ति आरोपित की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं संबंधित अप्रार्थी को भिजवाने हेतु अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर को भेजी जावे। अप्रार्थी से उपरोक्त शास्ति राशि वसूल कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर के कार्यालय में ट्रेजरी चालान के माध्यम से निर्णय तिथि के एक माह के अन्दर जमा करवाई जाकर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। यदि अप्रार्थी निर्धारित समयवाधि में शास्ति राशि जमा करवाने में असफल रहता है तो अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर इस संबंध में बनाए गए नियमों के अंतर्गत वसूली की कार्यवाही भी सुनिश्चित करेंगे।

4. आदेश लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मनोज कुमार)

अति. जिला मजिस्ट्रेट नागौर
नागौर

